कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत।

फोन/फैक्स नं0 : 05965–230296 **ई–मेल** : dmcumdeocpt@gmail.com / deochp-election@uk.gov.in

पत्रांक :– 1188 /29–ए(नि0 संचालन/उप निर्वा0)/2022, दिनांक : 27 मई, 2022.

:: प्रेस नोट ::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून की अधिसूचना संख्याः 567/xxxi(15)G/22–10(सा0)/2017, दिनांकः 12 मई, 2022 एवं 614/ xxxi(15)G/22–10(सा0)/2017, दिनांक : 26 मई, 2022 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के प्रेस नोट संख्या 3124 एवं पत्र संख्या 3125 दिनांक 26 मई, 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा उप निर्वाचन–2022 हेतु जनपद–चम्पावत में समाविष्ट 55–चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों /शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध–निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों को मतदान हेतु **दिनांक : 31 मई, 2022 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश** घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।''

यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यदि कोई व्यक्ति जनपद चम्पावत की 55–चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है, तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर ही कार्यरत हों, को भी दिनांक : 31 मई, 2022 (मंगलवार) को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

(नरेन्द्र सिंह भण्डारी)
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चम्पावत।

पत्रांक :– 1188 /29–ए(मा0 प्रेक्षक/उप निर्वा0)/2022, दिनांक : 27 मई, 2022.

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मा0 प्रेक्षक (सामान्य/व्यय), भारत निर्वाचन आयोग के सादर अवलोकनार्थ द्वारा लाईजनिंग अधिकारी।
3– पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।
4– रिटर्निंग/सहा0 रिटर्निंग ऑफिसर, 55–चम्पावत वि0स0नि0 क्षेत्र।
5– समस्त विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षक, जनपद–चम्पावत।
5– समस्त राजनैतिक दल, जनपद–चम्पावत।
6– समस्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/मुख्य निर्वाचन अभिकर्ता, 55–चम्पावत वि0स0उप0नि0–2022।
7– जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार प्रेस नोट को अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान अखबार में जनपद चम्पावत क्षेत्रान्तर्गत सर्वसाधारण के सूचनार्थ न्यूनतम साईज पर न्यूनतम राजकीय दरों स्थानीय संस्करण में प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
8– विज्ञापन व्यवस्थापक, अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित उक्त प्रेस नोट को जनपद चम्पावत क्षेत्रान्तर्गत सर्वसाधारण के सूचनार्थ न्यूनतम साईज पर न्यूनतम राजकीय दरों पर स्थानीय संस्करण में प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चम्पावत।